भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 767

उत्तर देने की तारीख- 24/07/2025

वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

767. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर), 2023 के अनुसार वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के कार्यान्वयन से वन और वृक्षावरण में नकारात्मक परिवर्तन हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे दावे पर्याप्त वैज्ञानिक साक्ष्य के बिना किए गए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 150 से अधिक वन अधिकार और सिविल सोसाइटी समूहों ने यह मांग की है कि सरकार वन क्षेत्र में नकारात्मक परिवर्तनों, जिसका आंशिक कारण एफआरए का कार्यान्वयन है, के संबंध में आईएसएफआर के दावों को खारिज करे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या एफआरए अतिक्रमणों के नियमितीकरण से संबंधित नहीं है और इसके बजाय वन क्षेत्रों में रहने वाले पात्र व्यक्तियों और समुदायों द्वारा पहले से ही प्रयोग किए जा रहे पूर्व-विद्यमान अधिकारों को स्वीकार करता है और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफऔरसीसी) में भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट' 2023 प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट में भारत के जंगलों में वन आच्छादन, वृक्ष आच्छादन, मैंग्रोव आच्छादन, ग्रोइंग स्टॉक, कार्बनस्टॉक, वनाग्निकी घटनाएं, कृषिवानिकी आदि के संबंध में जानकारी शामिल है। उक्त रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वन आच्छादन में अल्पावधिक आवर्तन वाले पौधों (शॉर्ट रोटेशन प्लांटेशन) की कटाई या अन्य प्रकार के बडे पैमाने पर वृक्षों की कटाई, झूम कृषि कार्य पद्धतियां और वन अधिकार अधिनियम (2006) के तहत दिये गए स्वामित्व अधिकार पत्र, अतिक्रमण जैसी मानव गतिविधियां, प्राकृतिक आपदाएं जैसे तूफान, बाढ़ और भूस्खलन के कारण नकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। इस संबंध में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समक्ष इस दावे की वैज्ञानिक वैधता पर चिंता जताई है।

(ग) जी हां, जनजातीय कार्य मंत्रालय को उक्त अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(घ) वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) दिनांक 13 दिसंबर, 2005 से पहले वन क्षेत्रों में रहने वाले वैध दावेदारों के वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें निहित करने के लिए लागू किया गया था।इसके अलावा, एफआरए, अतिक्रमणों के नियमतीकरण से संबंधित नहीं है और न ही इसको बढ़ावा देता है। इसके बजाय, यह उन पूर्व-विद्यमान अधिकारों को मान्यता देता है जिनका प्रयोग एफ.आर.ए. के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों सहित वन क्षेत्रों में रहने वाले पात्र व्यक्तियों और समुदायों द्वारा पहले से ही किया जा रहा है। ।

*****